—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 21/2025

उनवान

1. कमल सिंह
2. हिम्मत सिंह
3. चेतन सिंह पि. मांगू सिंह समस्त जाति रावत निवासी ग्राम सवाईपुरा नया गांव कास्या, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. मांगू सिंह पुत्र छगना
2. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र मांगूसिंह,
3. रतनसिंह पुत्र धन्ना,
4. अजीत पुत्र चांदसिंह,
5. तारा सिंह पुत्र चांद सिंह
6. बलजीत पुत्र चांदसिंह,
7. मंजीत पुत्र चांदसिंह,
8. शेरसिंह पुत्र चांदसिंह,
9. भावना पुत्री चांदसिंह नाबालिग जरियें संरक्षक माता लक्ष्मी,
10. लक्ष्मी पत्नि चांदसिंह जाति रावत निवासी सवाईपुरा नयागांव कास्या नसीराबाद
11. मैनेजर, बैंक आफॅ बडौदा, शाखा, राजगढ
12. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—: अप्रार्थीगण :— 1 से 11 अनुपस्थित, 12 जरियें राज. पैरोकार

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 30/7/25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नया गांव में स्थित खाता संख्या 304/279 किता 42 रकबा 8.49 की आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की है। उपरोक्त आराजी के मूल खातेदार मांदू रावत थे, जिसकी मृत्यु हो गयी है के तीन वारिस रोडू, छगना व धन्ना हुये। रोडू की नाऔलाद मृत्यु हो गयी है। धन्ना व छगना की भी मृत्यु हो गयी है। धन्ना का वारिस अप्रार्थी संख्या 3 व छगना का वारिस पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 मांगू सिंह व चांद सिंह है। चांद सिंह के वारिस अप्रार्थी संख्या 4 से 10 है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी ... का उक्त पुश्तैनी आराजी पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हक व हिस्सा ...हित है। आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 ... के नाम ... कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:01:44 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हसतांतरण करने पर आमादा है।
अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम नया गांव में स्थित खाता संख्या 304/279 किता 42 रकबा 8.49 की आराजी हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 10 के नाम अंकित है। अप्रार्थी संख्या 1 मांगू सिंह पुत्र छगना का उक्त आराजी पर 1/4 हिस्सा अंकित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 के विधिक वारिस हैं आराजी मुतनाजा पुश्तैनी होने से अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर हक व हिस्सा निहित है। राजस्व अभिलेख में भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित हैं, जिसे पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–
विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 के विधिक वारिस है। राजस्व अभिलेख में भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित हैं। उसके द्वारा भूमि का बैचान किया जाता है तो मौके पर वाद बहुलता होगी। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य व सुनवाई से ही तय किये जायेगे। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

आदेश :– अतः ग्राम नया गांव में स्थित खाता संख्या 304/279 किता 42 रकबा 8.49 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से तक की आराजी के मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:01:44 IST
Reason: SelfAttested